न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 03/2023
अनवान : –

1. प्रमोद कुमार पुत्र भीखाराम जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. भीखाराम पुत्र रिद्धकरण जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र भीखाराम जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
3. पवन कुमार पुत्र भीखाराम जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
4. उषा पुत्री भीखाराम जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
6. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायलान**

निर्णय दिनांकः 19/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 337/331 के ख.न. 369/1 की 3.534 हैक्टर भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल सं. 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायल का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है इसलिए रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 337/331 के ख.न. 369/1 की 3.534 हैक्टर भूमि में सायल व गैरसायलान सं. 2 ता 4 गैरसायल सं. 1 के साथ ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। इन्ही आशयों की सायल न्यायालय से घोषणा करवापाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि बतौर कर्ता खानदान होने के कारण गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज है तथा गैरसायल सं. 1 व्यक्तिगत कारणो से सायल से नाराज रहना लगा है तथा सायल का अजीविका वादग्रस्त कृषि भूमि है तथा सायल अपना हक व हिस्सा काश्त करता आ रहा है परन्तु सायल के नाम दर्ज नही होने के कारण गैरसायल सं. 1 आये दिन ऐलानिया धमकी देता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि की सींव व डोल नष्ट कर दुगा तथा वादग्रस्त भूमि को बैय कर दुगों इसलिए गैरसायल सं. 1 अपने मन्सुबो में कामयाब हो जाता है तो सायल को ना पुरा होने वाला नु[illegible] गैरसायल सं. 1 के खिलाफ रहन / बैय एवं रिकार्ड एवं मौका की अस्थाई नि[illegible] करवा पाने का अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि रहन/वैय व मुन्तकिल करने से निषेध[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:44:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 337/331 के ख0न0 369/1 की 33.534 हैक्ट भूमि में से गैरसायल स० 1

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के नाम दर्ज भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है एवं उनके बाद अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज हुई है अतः उक्त भूमि स्वय अर्जित/पैतृक का बिन्दु मूल वाद मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. <u>अपूर्णीय क्षति</u>– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य [illegible] है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:44:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Rahul

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 337/331 के ख0न0 369/1 की 33.534 हैक्ट भूमि में से गैरसायल स० 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 19/12/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:44:51 IST
Reason: SelfAttested